संख्या-42/2022/1397 /58-1-2022-2/1(75)09

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2022**

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई0सी0सी0ई0 अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 03-06 आयु वर्ग के बच्चों हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर, पहल पुस्तिका आदि एवं प्री-स्कूल किट व पोषण मैनुअल के क्रय हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-173/बा0वि0परि0/ई0सी0सी0ई0/2022-23, दिनांक 31 मई, 2022 एवं निदेशालय पत्र संख्या-112/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 09 मई, 2022 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-35/2022/788/001-2/3-2-17टी0सी0-ए, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 द्वारा अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अन्तर्गत 0102-समन्वित बाल विकास योजना एवं संगत राज्यांश-8902-समन्वित बाल विकास योजना में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 223497.81 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु 0102-समन्वित बाल विकास योजना में रू0 29783.50 लाख एवं संगत राज्यांश 8902-समन्वित बाल विकास योजना में रू0 26091.10 लाख कुल रू0 55874.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0102-समन्वित बाल विकास योजना एवं संगत राज्यांश-8902-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय" (के0-60/रा0-40-के0रा0) से ई0सी0सी0ई0 मद के अन्तर्गत प्री-स्कूल किट के क्रय हेतु वर्तमान अनुमानित निर्धारित दर (रू0 2400.00 प्रति किट) के अनुसार 30 जनपदों में 65783 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रू0 15,78,79,200.00 तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले बच्चों हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर, पहल पुस्तिका एवं बाल गतिविधि पुस्तिका आदि के क्रय हेतु 43 जनपदों में 90719 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु रू0 5,20,20,065.00 एवं 75 जनपदों के 189752

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु पोषण मैनुअल के क्रय हेतु रू0 2,65,65,280.00 लाख अर्थात् कुल रू0 23,64,64,545.00 (रू0 तेईस करोड़ चौसठ लाख चौसठ हजार पांच सौ पैंतालीस मात्र) का जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(3) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।

(6) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(9) योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 व शासनादेश संख्या-05/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0102-समन्वित बाल विकास योजना एवं संगत राज्यांश-8902-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 42/2022/1397(1)/58-1-2022, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in